सीएसआईआर- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/4/2011-राभा   दिनांक : 04.08.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएँ 2014-15 -- प्रविष्टियों का आमंत्रण।

संस्थान में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में दिनांक **21.11.2014** को जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों के संदर्भ में आपका ध्यान इन योजनाओं की ओर आकर्षित किया जाता है। ये सभी योजनाएँ **सितंबर 2014 से अगस्त, 2015** (**एक वर्ष**) के लिए लागू की गई थीं।

1. **सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना ।**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2011- राजभाषा (योजना-1), दिनांक 21.11.2014
2. **सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रोत्साहन भत्ता योजना।**
   (का.ज्ञा.सं.35/4/2011- राजभाषा (योजना-2), दिनांक 21.11.2014)
3. **सीएसआईआर-सीरी हिंदी श्रुतलेख (डिक्टेशन)प्रोत्साहन योजना(अधिकारियों के लिए)**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2011- राजभाषा (योजना-3), दिनांक 21.11.2014)
4. **सीएसआईआर-सीरी वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना।**
   (सं. 35/4/2011- राजभाषा (योजना-4), दिनांक 21.11.2014)
5. **सीएसआईआर-सीरी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।**
   (का.ज्ञा.35/4/2011- राजभाषा (योजना-5), दिनांक 21.11.2014)

योजनाओं का विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट पर हिंदी लिंक में उपलब्ध है। उपर्युक्त योजनाओं से लाभान्वित होने के इच्छुक सहकर्मी अपनी प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रपत्र में भर कर अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से राजभाषा प्रकोष्ठ में **14 अगस्त, 2015, सायं 5 बजे** तक अवश्य भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रविष्टियों को मूल्यांकन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके। अधूरे भरे प्रपत्रों एवं विलंब से प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये प्रपत्र संस्थान की **वेब साइट** पर प्रपत्र/FORMS **सेक्शन** के अंतर्गत "**राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के प्रपत्र/Proformae for Hindi Incentive Schemes**" नामक लिंक से **डाउनलोड** किए जा सकते हैं।

(रमेश बौरा)
हिन्दी अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. सभी निर्णय एकक/पैकेज/अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सहकर्मियों की प्रविष्टियाँ निर्धारित तिथि तक इस अनुभाग को अग्रसारित कर दें।
4. सभी सूचना पट्ट